

294

402

न्यायालय - श्री मान् आयुक्त, रीवा. तन्भाग-रीवा, म.प्र.

17 JAN 2012

प्र००० -



R-266-I/2012

01- रामकृपाल सिंह तनय एवं श्री बैजनाथ सिंह निवासी साठ तुर्की, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. - - निगराकार.

बनास

01- श्री मती मोलिया पत्नी श्री जगन्नाथ सिंह पटेल, निवासी साठ कोरिगवाँ, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म.प्र.

02- हल्का पटवारी तुर्की, हल्का नं. 67, नया हल्का नं. 18, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. - - - रैर निगराकारगप.

दया शंकर मिश्र

Advocate-Applcator

Supdt. Commissioner's Office Kewal Nagar M.P.

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय श्री मान् अपर कलेक्टर सतना, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 297/निग0/10-11 पारित आदेश दिनांक 07/12/2011.

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959.

मान्यवर,

निम्न संक्षिप्त तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर किय है :-

संक्षिप्त तथ्य

ग्राम तुर्की, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 355 रकबा 10.74 एकड़, का वर्तमान में कयी प्लॉक हो चुके हैं। आ0नं0 355/1क रकबा 1.78 एकड़, के भूमिस्वामी - रैर निगराकार क्रमांक-1, आ0नं0 355/2 रकबा 0.90 एकड़, इन्द्रमान सिंह के वारिस -

क्रमांक-2,

रामकृपाल सिंह

342 / 17/1/12

मान. राजेश ठाकुर
श्री अशोक मिश्रा
श्री अशोक मिश्रा

0.5

Handwritten mark

Handwritten mark

14/11/2018 को 23-1-18
 को 24-1-18 को 23-1-18
 को 24-1-18 को 23-1-18
 को 24-1-18 को 23-1-18
 को 24-1-18 को 23-1-18
 को 24-1-18 को 23-1-18

सूचक अन्वये 7 दिनांक 2018 के विधिसूचक

- क - बंगली सिंठ पुत्री मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 58 वर्ष
 - ख - नामवा सिंठ पुत्र मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 55 वर्ष
 - ग - रंगनाथ सिंठ पुत्र मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 53 वर्ष
 - घ - सुश्रेष्ठा सिंठ पुत्र मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 51 वर्ष
 - ङ - दिनेश सिंठ पुत्र मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 48 वर्ष
 - च - अर्पिता सिंठ पुत्री मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 45 वर्ष
 - छ - पूजन देवी पुत्री मोलिया व जगन्नाथ सिंठ उम्र 42 वर्ष
- सभी मिनाली सांकीरिगवा तहसील अमरपारम जिला राजा (ग.प्र.)

M

3.2.12


JOURNAL BY SHD -
 DISTRICT OFFICE

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-266-I/12

जिला-सतना

रामकृपाल सिंह/मोलिया सिंह पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 297/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा) सदस्य </p>	